

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-(I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक 21.03.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 66/2015-2020 का शुद्धिपत्र


नई दिल्ली, दिनांक: 22 मार्च, 2018

विषय: भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के संबंध में परिशिष्ट 3ख की तालिका 2 की प्रविष्टि संख्या 8019 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 21.03.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 66 के द्वारा अधिसूचित परिशिष्ट 3ख की तालिका 2 की प्रविष्टि संख्या 8019 में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करते हैं।

परिशिष्ट 3ख की तालिका 2 की क्र. सं.	मौजूदा आईटीसी (एचएस) कोड	संशोधित आईटीसी (एचएस) कोड	मौजूदा उत्पाद विवरण	संशोधित उत्पाद विवरण
8019	07132000	07132020	बंगाल ग्राम	बंगाल ग्राम (देशी चना)

इस शुद्धिपत्र का प्रभाव:— दिनांक 21.03.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 66 के द्वारा अधिसूचित परिशिष्ट 3ख की तालिका 2 की क्र. सं. 8019 पर दी गई प्रविष्टि में संशोधन किया गया है।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

{फा. सं. 14/02/2017/ईपी (एग्री-III) पार्ट-I से जारी}